

न्यायालय तहसीलदार, ब्यावर, जिला-अजमेर (राज.)

राजस्व मुकदमा नम्बर - 01/2020

सरकार जरिये पटवारी हल्का अनाकर

बनाम

श्री प्रभुसिंह पुत्र रामसिंह, नरेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह, जाति-रावत, निवासी-अनाकर, तह. ब्यावर

मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय


दिनांक : 30/11/2020

सारांशतः प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम-अनाकर, पटवार मण्डल-अनाकर, तहसील-ब्यावर के खसरा नम्बर 988 कुल रकवा 00-12-10 किस्म-वारानी 3 में से रकवा 00-12-10 सरकारी सिवायचक भूमि पर श्री प्रभुसिंह पुत्र रामसिंह, नरेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह, जाति-रावत, निवासी-अनाकर, तहसील-ब्यावर ने अवैध रूप से दो दुकानों का निर्माण कर अतिचार करने पर पटवारी हल्का अनाकर ने उक्त अतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अप्रार्थी उपस्थित, लेकिन किराी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण से वेदखल किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम-अनाकर की सरकारी सिवायचक भूमि के ख.नं. 988 पर अप्रार्थी द्वारा किये गये अवैध रूप से दो दुकानों का निर्माण कर रकवे से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी को आदेश दिये जाते हैं कि अतिक्रमित भूमि पर अवैध कच्चे पर पत्थर आदि कोई सामग्री पडी हो तो जव्त सरकार कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही करे तथा फर्द नीलामी वास्ते स्वीकृती हेतु पेश करे। साथ ही अतिचारी पर वार्षिक लगान रु. 0.20 का पचास गुना राउंड फीगर राशि रु. 50/- पेनल्टी कायम की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार/हल्का पटवारी/भू.अभिलेख निरीक्षक को कच्चा/वेदखली/ध्वस्त कार्यवाही/जब्ती/नीलामी/डिमाण्ड कायमी/वसूली आदि की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पृथक से लिखा जावे। गिराल फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कग हो। बाद कार्यालय कार्यवाही की जावे।


तहसीलदार ब्यावर
तहसीलदार, ब्यावर

